कभी-कभी हम सभी के स्वभाव में ऐसा दोहरापन दिखता है जो देश-समाज और खुद के लिए घातक प्रवृत्ति से कम नहीं। हमारी जरूरतें सीमित हैं पर इच्छाएं असीमित हैं। रोटी, कपड़ा और मकान तो अब पुरानी बात हो चली है। अच्छी और सस्ती शिक्षा, कारगर और किफायती इलाज जरूरी है। वाहन चलाने के लिए चमाचम हाईवे चाहिए। पगडंडी पर धूल होती है, जो स्वास्थ्य के साथ सौंदर्य के लिए भी हानिकारक है। लिहाजा संपर्क मार्ग भी पक्के होने चाहिए। सार्वजनिक यातायात व्यवस्था हर सेकंड पर होनी चाहिए। भाई समय किसके पास है और आज के जमाने में इंतजार किससे होता है। मेट्रो, बुलेट ट्रेन, हर जिले में हवाई अड्डा इसलिए भी अपरिहार्य हो चला है कि अधिकांश उसके उपभोक्ता की हैसियत रखने लगे हैं। ऐसी अनगिनत और असीमित अपेक्षाएं हमारे मन-मस्तिष्क में उमड़ती-घुमड़ती रहती हैं और जब सरकार उसे नहीं पूरा करती तो हम उसे नाकारा घोषित कर देते हैं।

तुम एक पैसा दोगे वो दस लाख देगा

यह सही है कि अपने हर नागरिक के सुख-दुख का ख्याल रखना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन जिस देश-समाज से हम इतनी अपेक्षाएं पालते हैं, उस देश समाज की आर्थिक मजबूती के लिए अपनी जेब ढीली करने में हिचकिचाहट दिखाते हैं। साम-दाम दंड भेद से पाई-पाई बचाने (चुराने) का तिकड़म करते हैं। हम यह तनिक नहीं सोचते कि आखिर अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो सरकार के पास धन कहां से एकत्र होगा और धनाभाव में वह हमारी असीमित अपेक्षाओं पर कैसे खरी उतरेगी। हाल ही में वित्त मंत्री ने 2018-19 का आम बजट पेश किया और उसमें टैक्स से रियायत न दिए जाने का तमाम समर्थ लोग भी मलाल कर रहे हैं। देश तभी मजबूत होगा जब उसके नागरिक ईमानदारी से अपना टैक्स चुकाएंगे। उन्हें इसलिए चुकाना है क्योंकि वे समर्थ हैं और अपने खर्चे से ज्यादा कमाई कर रहे हैं। ऐसे में बजट के बहाने लोगों की इस मानसिकता की पड़ताल करना आज बड़ा मुद्दा है।

आर्थिक ईमानदारी भी है राष्ट्रवाद

गुंजा कपूर
एसोसिएट फेलो, पहल इंडिया फाउंडेशन

52 सेकंड का राष्ट्रगान गाकर हम साल के 52 हफ्ते बेईमानी में जीकर खुद को राष्ट्रवादी नहीं कह सकते। अगर हम ईमानदारी से टैक्स नहीं चुकाएंगे तो सड़क, स्कूल, अस्पताल बनाने के लिए पर्याप्त धन कहां से आएगा?

हमारा देश इस मामले में खुशकिस्मत रहा कि उसे समय-समय पर ऐसे प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए कड़े फैसले लिए। चाहे वो बैंकों के राष्ट्रीयकरण का इंदिरा गांधी का फैसला हो, आर्थिक उदारीकरण का नरसिंह राव का फैसला हो या नोटबंदी करने का नरेंद्र मोदी का निर्णय हो। ऐसे कड़े फैसले लेना आसान नहीं होता है, लेकिन देश हित में जरूरी होते हैं। ऐसे में सवाल उठता है इसके बावजूद देश तरक्की क्यों नहीं करता है। इसका जवाब है लोगों का उनके कर्तव्य से विमुख होना, गैरजिम्मेदार होना। देश के नागरिक देश से जितना लेते हैं, उतना लौटाना नहीं चाहते। लोग यह नहीं समझते हैं कि देश के विकास के लिए आर्थिक संसाधनों की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए देश उन्हीं पर निर्भर करता है। अगर हम ही अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाएंगे तो सड़क, स्कूल, अस्पताल बनाने के लिए पर्याप्त फंड कहां से आएगा। नोटबंदी और जीएसटी की घोषणा के बाद माना जा रहा था कि अब टैक्स भरने वालों की संख्या और आयकर राजस्व में इजाफा होगा। 2017 की आर्थिक समीक्षा में सामने आया कि नवंबर, 2017 में टैक्स फाइल करने वाले लोगों की संख्या अनुमानित संख्या से 31 फीसद अधिक है। यानी 18 लाख लोगों ने टैक्स जमा करने वालों के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराया। लोग सवाल उठाते हैं कि सरकार ईमानदार करदाताओं को उनके नैतिक व्यवहार के लिए कोई पुरस्कार नहीं देती। इन लोगों का कहना सही है लेकिन इतनी बड़ी आबादी में से ऐसे लोगों को चुनने में काफी संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। हालांकि आरबीआइ जीएसटी के तहत पंजीकृत छोटे व मध्यम उद्योगों को ऋण की राशि चुकाने में समय की मोहलत देती है। भारत जैसे विशाल देश के लिए यह दुखद है कि 125 करोड़ की आबादी में सिर्फ 2.56 फीसद ही 100 फीसद टैक्स भरते हैं। क्या बाकी लोग देश के संसाधन इस्तेमाल नहीं करते। वोट करना और कर चुकाना तो लोगों के देश के प्रति पहले कर्तव्यों में से एक हैं। अगर हम ये दो जिम्मेदारियां भी पूरी नहीं कर पाते तो हमें खुद को राष्ट्रवादी कहने का और सरकार को कोसने का कोई अधिकार नहीं है। अगर हम ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते और 100 रुपये का चालान बचाने के लिए ट्रैफिक पुलिस को 50 रुपये रिश्वत में देने की पेशकश करते हैं तो हम बेईमान हैं।

महात्मा गांधी ने कहा था कि जो परिवर्तन आप दुनिया में देखना चाहते हैं, उसकी शुरुआत खुद से करें। राष्ट्रवादी बेईमान नहीं हो सकते और बेईमान राष्ट्रवादी नहीं हो सकते। अगर सभी आयकर भरना शुरू कर दें, तो आयकर की दर नीचे आ जाएगी। व्यापार करने में अधिक सुगमता होगी और अधिक निवेश होगा। अगर हमें एक बेहतर भारत बनाना है तो हमें बच्चों को आज से ही ईमानदारी सिखानी होगी, लेकिन उससे पहले हमें खुद ईमानदार होना होगा।

इलस्ट्रेशन : अवधेश

सुधारों से बढ़ेगा कर दायरा

सुशील सिंह
संस्थापक, सुशील सिंह एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट

सरकार बिना राजनीतिक नतीजों की परवाह किए मजबूत इच्छाशक्ति से टैक्स प्रावधानों में सुधारों को लागू कर रही है। नोटबंदी और जीएसटी जैसे सुधारों के चलते लोग टैक्स की चोरी नहीं कर पाएंगे और इससे टैक्स का दायरा बढ़ेगा।

सरकार बिना धन के काम नहीं कर सकती। पर्याप्त धन संसाधन सुनिश्चित करने के लिए वह अपने नागरिकों से टैक्स एकत्र करती है। सामान व सेवाओं की खरीद पर, संपत्ति के अधिग्रहण पर और अर्जित आय पर टैक्स लिया जा सकता है। सरकार जिन तरीकों से राजस्व जमा करती है उनमें से एक है आयकर। हर साल बजट की परंपरा निभाई जाती है, जिसमें सरकार की आय तय की जाती है ताकि जनता के प्रति सरकार अपनी जिम्मेदारियां निभा सके। अब तक हम सबने कई बजट देखे हैं, हालांकि इस मौजूदा सरकार ने अब तक जो बजट पेश किए हैं, वे कई मायनों में अलग हैं। यह सरकार बिना राजनीतिक नतीजों की परवाह किए मजबूत इच्छाशक्ति से टैक्स प्रावधानों में सुधार कर रही है और उन्हें लागू भी कर रही है। नोटबंदी और जीएसटी जैसे सुधारों के चलते लोग टैक्स की चोरी नहीं कर पाएंगे और इससे टैक्स का दायरा बढ़ेगा। लोग अपनी आय पर उचित टैक्स चुकाने को बाध्य होंगे। देश की टैक्स प्रणाली अप्रत्यक्ष करों पर अत्यधिक निर्भर करती है, जो अमीर और गरीब दोनों को समान रूप से प्रभावित करते हैं। प्रत्यक्ष कर करदाताओं की कर चुकाने की क्षमता पर निर्भर करते हैं।

तकरीबन सभी जी20 देशों में कुल कर राजस्व में प्रत्यक्ष कर की हिस्सेदारी काफी ज्यादा होती है। भारत में इसका उलट है। जी20 और ब्रिक्स देशों में से भारत में सबसे कम टैक्स बेस है। इसके चलते गरीब और वंचित तबकों के लिए जरूरी सेवाएं मुहैया कराने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा देने के लिए पर्याप्त धन नहीं जमा हो पाता। जी-20 देशों में भारत का तीसरा सबसे कम टैक्स बेस है। हमसे कम टैक्स बेस मेक्सिको और इंडोनेशिया का है। बेल्जियम, डेनमार्क जैसे देशों में सामाजिक सुरक्षा का स्तर काफी ऊंचा होने का कारण है कि वहां टैक्स और जीडीपी का अनुपात काफी अधिक है। तकरीबन सभी आधुनिक देशों में टैक्स चुकाने की अनुपालन दर 90 फीसद तक है।

वित्त मंत्री ने टैक्स से बचने के रास्तों को बंद करने की कोशिश की है। अब किसी कंपनी या उद्योग द्वारा 2.5 लाख या इससे अधिक का लेन-देन करने पर पैन जमा करने की अनिवार्यता होगी। चाहे कोई कंपनी टैक्स जमा करने के दायरे में आती हो या नहीं, उसे आयकर रिटर्न जमा करना पड़ेगा जिससे कि मुखौटा कंपनियों की पहचान की जा सके। अगर कोई कंपनी आयकर रिटर्न जमा करने से मना करती है तो उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। बेनामी संपत्ति रखने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। किसी चैरिटी संस्था या धार्मिक ट्रस्ट को 10 हजार से अधिक की राशि नकद में नहीं दी जा सकती है और इसपर भी टीडीएस का प्रावधान रहेगा। आयकर मामलों की जांच भी बिना नाम और चेहरा देखे की जाएगी। वित्त मंत्री ने प्रत्येक करदाता को कुछ अतिरिक्त फायदे पहुंचाने की भी कोशिश की है। उन्होंने नौकरी करने वाले लोगों के लिए हर दस वर्ष के अंतराल पर स्टैंडर्ड कटौती को पुनः लागू किया है। धारा 80 डी के अंतर्गत मेडीक्लेम बीमा और स्वास्थ्य खर्च से संबंधित कटौती को बढ़ाकर 50 हजार कर दिया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज कटौती को बढ़ाकर 50 हजार से एक लाख किया गया है। ऐसे ही कई और प्रावधान किए गए हैं। कुल मिलाकर यह स्वागतयोग्य बजट है जिसमें कई टैक्स से बचने के कई रास्तों को बंद किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने टैक्स के बोझ को कारपोरेट और गैर-कारपोरेट निर्धारण के लिए संभावित सीमा तक कम करने की कोशिश की है, जिससे उनके वित्त पर असर न पड़े।

कर की बात

जुलाई, 2017 में केंद्र सरकार ने देश के टैक्स क्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हुए जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स लागू किया। आर्थिक समीक्षा के मुताबिक जीएसटी लागू होने के बाद देश में अप्रत्यक्ष कर का भुगतान करने वाले लोग 50 फीसद बढ़ गए हैं। 2015-16 वित्तीय वर्ष में देश के 1.7 फीसद लोगों ने टैक्स भरा।

टैक्स जीडीपी अनुपात

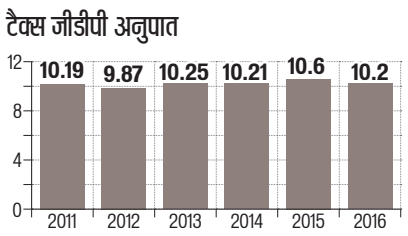

सरकार का भरता है खजाना

वर्ष	कुल करदाता (करोड़ में)	आयकर से राजस्व (लाख करोड़ में)
2013-14	1.66	1.37
2014-15	1.91	1.91
2015-16	2.05	1.88

ऐसे टैक्स भरता है देश

5.5% इतने करदाता भरते हैं 13.92% टैक्स

4.63% कुल करदाताओं में से इतने भरते हैं कुल टैक्स का 62.34%

89.86% इतने करदाताओं ने भरा 23.72 फीसद टैक्स

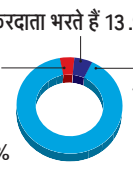

आय और आयकर में फर्क

0.35% इतने करदाताओं ने घोषित की 50 लाख रुपये से अधिक आय

6.28% इतने करदाताओं ने घोषित की 2.5 लाख से 25 लाख रुपये की आय

93.3% इतने करदाताओं ने घोषित की एक लाख से 2.5 लाख रुपये की आय

नॉर्वे से सीखें

दुनिया में नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां हर नागरिक की आय को सार्वजनिक किया जाता है। लोग वैध रूप से ऑनलाइन यह देख सकते हैं कि उनके आस-पड़ोस में लोग कितना कमा रहे हैं। यह नॉर्वे के लिए कोई नई बात नहीं है। यहां लोग सन 1800 से ही प्राधिकरण के दफ्तरों में टैक्स संबंधी दस्तावेज देखते आए हैं। डिजिटल तकनीक आने से लोगों के लिए दूसरे की आय और टैक्स जानना आसान हो गया है। इसी के चलते 2014 में प्राधिकरण ने एक कानून बना दिया जिसके तहत जिस व्यक्ति की आय का ब्योरा देखा जा रहा है उसे ई-मेल के जरिए इसकी सूचना भेजी जाती है। यह सब कुछ सरकार और नागरिकों के बीच पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किया गया है। इस नियम के चलते नॉर्वे में नौकरियों में किसी नौकरी के विज्ञापन में सही तनख्वाह बताई जाती है। इसी की वजह से देश में आय की असमानता नहीं है। इन कानूनों के चलते लोग टैक्स चोरी कम ही करते हैं।

आयकर से लगता है डर

कर का भुगतान करने की प्रवृत्ति लोगों में स्वाभाविक रूप से नहीं आती है। कुछ लोगों को छोड़ दें तो, अधिकतर इससे बचना चाहते हैं, खासतौर से विकासशील देशों में। यह सच है कि पाबंदी से टैक्स भरने और समृद्धि में गहरा नाता है। आर्थिक सहयोग व विकास संगठन के सदस्य अमीर देश अपनी जीडीपी का 33 फीसद टैक्स से एकत्र करते हैं। गरीब देशों में यह आंकड़ा महज 12 फीसद है।

टैक्स न भरने की वजहें

दक्षिणी व उत्तर अफ्रीकी देशों में हुए एक सर्वे के आधार पर गरीब देशों में अधिकांश लोगों को टैक्स जमा करना बोझ व अनुचित लगता है।

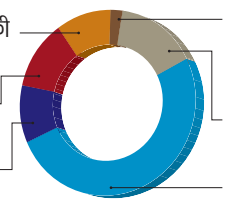

10% सरकार टैक्स की बर्बादी या चोरी करती है
12% खराब सार्वजनिक सेवाएं
10% अनुचित टैक्स प्रणाली
2% लोग जानते हैं कि वे पकड़े नहीं जाएंगे
15% अन्य कारण
51% अत्यधिक टैक्स

अमीर और गरीब देशों में टैक्स संग्रहण

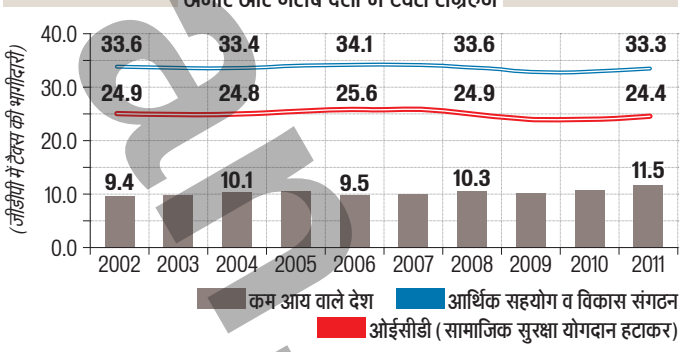

कितना कर है सही

कहीं भी कर लगाने का कोई तय मानदंड नहीं है। आम धारणा कहती है कि टैक्स की दर इतनी होनी चाहिए जिससे कम से कम देश के इंफ्रास्ट्रक्चर सामाजिक सेवाओं और सार्वजनिक वस्तुओं की आपूर्ति की जा सके। दुर्भाग्यवश कई गरीब देशों में बेहद कम टैक्स लिया जाता है, जिससे इन देशों का आर्थिक विकास अवरुद्ध होता है।

वित्तीय सेहत हो दुरुस्त तो भारत हो तंदुरुस्त

प्रोतिवा कुंडू
सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटबिलिटी (सीबीजीए)

ब्रिक्स देशों में भारत का सबसे कम टैक्स जीडीपी अनुपात सरकार की खराब वित्तीय सेहत की बड़ी वजह है। यही वजह गरीबों तक सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा पहुंचाने में सरकार के आड़े आती है।

जैसा माना जा रहा था कि आम बजट 2018-19 ग्रामीण विकास, खेती-किसानी और सामाजिक कल्याण की सुध लेगा। हुआ भी वही, लेकिन सामाजिक क्षेत्र के लिए पर्याप्त अनुपात में आवंटन नहीं किया जा सका। सभी विकासीय योजनाओं के लिए जो भी आवंटन हुए वे या तो पिछले आवंटन के बराबर रहे या फिर उनमें बहुत मामूली वृद्धि की गई।

संभवतया इस साल सामाजिक क्षेत्र में सबका ध्यान खींचने वाली घोषणा नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम (एनएचपीएस) रही। 'आयुष्मान भारत' के उद्देश्य से 50 करोड़ लोगों को लाभ देने वाले इस कार्यक्रम को दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम बताया गया। लेकिन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए केवल 56226 करोड़ रुपये ही आवंटित किए गए। 2017-18 के संशोधित बजट से इसमें महज 2.5 फीसद ही वृद्धि हुई है। सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जैसे शिक्षा क्षेत्र के प्रमुख कार्यक्रमों के बजट में आंशिक बढ़ोतरी हुई है। उच्च शिक्षा क्षेत्र में सरकार ने कुछ नए कदम बढ़ाए हैं। हालांकि देश के शिक्षा बजट (मानव संसाधन विकास मंत्रालय का बजट) की कुल आम बजट में हिस्सेदारी संशोधित बजट 2017-18 के 3.8 फीसद से घटकर 2018-19 के बजट अनुमान में 3.6 फीसद रह गई है। ऐसी ही तस्वीर पेयजल और साफ-सफाई के क्षेत्रों में दिखाई देती है, जहां पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के आवंटन में 2017-18 के संशोधित बजट से 2018-19 में मामूली 7 फीसद का इजाफा किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के बजट में 1.8 फीसद की वृद्धि हुई है जबकि पिछले साल यह वृद्धि 19 फीसद थी।

सामाजिक क्षेत्र में सरकारी निवेश अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बहुत अहम होता है। जब सामाजिक सेवाओं पर केंद्र और राज्यों का होने वाला खर्च उनकी जीडीपी की हिस्सेदारी के लिहाज से निरंतर कम हो रहा है। 2017-18 के आर्थिक सर्वे के मुताबिक 2012-13 से 2014-15 तक यह 6 फीसद के स्तर पर बना रहा है। 2015-16 में इसका स्तर 5.8 फीसद पहुंच गया तो 2017-18 में यह 6.6 फीसद रहा। सरकार के लिए राजस्व का प्रमुख जरिया टैक्स है। लिहाजा सरकार को कराधान के जरिए वित्तीय सेहत ठीक करने के लिए देश के टैक्स-जीडीपी अनुपात को दुरुस्त करना होगा। दुर्भाग्य से भारत का टैक्स टू जीडीपी अनुपात पिछले कुछ साल से 17 फीसद पर अटका हुआ है। यह अन्य ब्रिक्स देशों की तुलना में सबसे कम है। यही खराब वित्तीय सेहत आम और जरूरतमंद लोगों तक अनिवार्य सेवाओं और गरीबों और पिछड़े तबके तक सामाजिक सुरक्षा पहुंचाने में सरकार के आड़े आती है। पिछले चार साल के दौरान करदाताओं की संख्या में प्रभावी इजाफे से केंद्र अपने टैक्स-जीडीपी अनुपात को 2015-16 के 6.9 फीसद से 2018-19 में 7.9 फीसद करने में सक्षम रहा है। जबकि इसी दौरान गैर टैक्स राजस्व में कमी हुई है। इसके साथ ही सकल राजस्व में वृद्धि इसलिए हुई क्योंकि केंद्रीय करों में सभी तरह की दी जाने वाली रियायतें 201-17 के 2 फीसद से 2017-18 में जीडीपी के 1.2 फीसद पर आ गईं। निश्चित रूप से इस कदम से सरकार कुछ अतिरिक्त आय सृजित कर सकेगी जिसे अलग अलग विकास और कल्याण कार्यक्रमों में इस्तेमाल किया जा सकेगा।

केंद्र सरकार की कुल प्राप्तियां

(करोड़ रुपये में)

	2015-16	2016-17	2017-18		2018-19
	वास्तविक		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान
राजस्व प्राप्तियां	1195025	1374203	1515771	1444097	1635738
जीडीपी का प्रतिशत	8.7	9.1	9.0	8.6	8.7
टैक्स राजस्व	943765	1101372	1227014	1269454	1480649
जीडीपी का प्रतिशत	6.9	7.3	7.3	7.6	7.9
गैर टैक्स राजस्व	251260	272831	288757	235974	245089
जीडीपी का प्रतिशत	1.8	1.8	1.7	1.4	1.3
पूंजी प्राप्तियां (ऋण समेत)	595758	600991	630964	712322	716475
जीडीपी का प्रतिशत	4.4	4.0	3.8	4.2	3.8
वित्तीय घाटा	532791	535618	546531	594849	624276
जीडीपी का प्रतिशत	3.9	3.5	3.3	3.5	3.3

जनमत

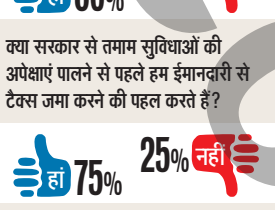

क्या सरकार से तमाम सुविधाओं की अपेक्षाएं पालने से पहले हम ईमानदारी से टैक्स जमा करने की पहल करते हैं?

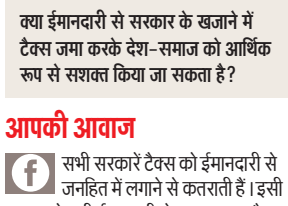

क्या ईमानदारी से सरकार के खजाने में टैक्स जमा करके देश-समाज को आर्थिक रूप से सशक्त किया जा सकता है?

आपकी आवाज

सभी सरकारें टैक्स को ईमानदारी से जनहित में लगाने से कतराती हैं। इसी कारण लोग भी ईमानदारी से अपना बनता टैक्स सरकारी खजाने में देने से मुंह मोड़ लेते हैं।
राजेश कुमार चौहान

देश की आबादी में बड़ी हिस्सेदारी उन लोगों की भी है, जो ईमानदारी से टैक्स जमा करते हैं। इसके बावजूद वे सरकार से सुविधाओं की सिर्फ उम्मीद ही रखते हैं, उन्हें मिलता कुछ नहीं।
मोहित सिंह

देश में टैक्स संग्रहण की मौजूदा प्रणाली काफी सुस्त है। इसीलिए लोग टैक्स देने से बचते हैं और देश-समाज को आर्थिक क्षति पहुंचती है। इसे सुधारा जा सकता है।
विकास वर्मा

ईमानदारी से टैक्स जमा कराने के लिए लोगों में जागरूकता का अभाव है। इसके लिए सरकार को लाभकारी योजनाओं की शुरुआत करनी चाहिए। इससे फायदा देख अधिक से अधिक लोग टैक्स अदा कर पाएंगे। **निधि जायसवाल**

एक से लिया दूजे को दिया

नरेश चंद्र सक्सेना
पूर्व सदस्य, योजना आयोग

खाए-अघाए लोगों से टैक्स लेकर सरकार जरूरतमंदों और गरीबों का कल्याण करती है। इस बजट में भी यही बात दिखती है जिसके तहत कृषि के साथ बेहतर ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सेवाओं में इजाफा करने पर ध्यान दिया गया है।

पिछले चार वर्षों में कुल निर्मित सड़कों में से दो-तिहाई गरीब राज्यों में बनी हैं। गावों में सड़क बनने से कमाई के नए मौके और छोटे उद्योग फल-फूल रहे हैं। अब मजदूरों को भी काम की तलाश में अपने गांव से शहरी इलाकों की तरफ जाने में आसानी होती है। सौभाग्य योजना के तहत चार करोड़ घरों को नए बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे, जिससे घरों को कई तरीके से फायदा पहुंचेगा। अनाज के उत्पादन से इतर देश ने गैर-अनाज कृषि यानी बागवानी, डेयरी, मुर्गीपालन और मछलीपालन में अधिक विकास किया है। उम्मीद की जा सकती है कि 22 हजार ग्रामीण हाटों के विकास के लिए बजट में घोषित किए गए दो हजार करोड़ के कृषि बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की सहायता से आधुनिक सप्लाई चेन और कोल्ड चेन, रीफर वैन, वेयरहाउस जैसे प्रबंधन सेवाएं विकसित होंगी, जिनसे बागवानी में उत्पादित उच्च मूल्य वाली वस्तुओं को संभाला जा सकेगा। बजट में एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा के मुताबिक न्यूनतम सहायता राशि प्रणाली के तहत खरीदी जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अब तक इस प्रणाली का लाभ सिर्फ धान, गेहूं और कपास उगाने वाले किसानों को मिलता था। अब किसानों को अधिक दाम मिलने से बिचौलियों का मुनाफा कम होगा। कुल मिलाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सरकारी दखलंदाजी से मजबूत किए जाने की जरूरत है। यह खुशी की बात है कि इस बजट में कृषि के साथ बेहतर ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सेवाओं में इजाफा करने पर ध्यान दिया गया है।